186

चेक लिस्ट क. 34

वन अधिनियम मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा) (भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक / **F.No. 10-9/1998-FC** दिनांक 12.05.2007

कार्यालय परियोजना प्रबंधक

(ए.डी.बी.प्रोजेक्ट)

छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

(E-mail:- eemp.bilaspur.cg@nic.in) Phone – 07752-400946

प्रमाण पत्र

आवेदक संस्थान छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग बिलासपुर छत्तीसगढ द्वारा बाकारूमा–लैलूंगा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य प्रस्तावित है। जिसकी कुल लम्बाई 22.920 कि.मी. है, जिसमे 3.843 हेक्टे. संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। .वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में मुख्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में चौड़ीकृत डामरीकरण किया जाना प्रस्तावित है, उक्त मार्ग हेतु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति का कलेक्टर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।

(ए. के. दीवान)
परियोजना प्रबंधक
(ए.डी.बी. प्रोजेक्ट)
छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना
लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

188
10

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा जिला-रायगढ़(छ.ग.)

क्रमांक /268/स.अ.भू.अ./ 2021 रायगढ़ दिनांक 26/2/2021

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल धरमजयगढ़
जिला-रायगढ़(छ.ग.)

विषय :- रायगढ़ जिले के अंतर्गत पैकेज-24 बाकारूमा-लैलूंगा मार्ग कुल लम्बाई 22.918 कि.मी. के प्रस्तावित उन्नयन एवं पूनर्निर्माण कार्य में आने वाले वनक्षेत्र का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव तैयार करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंर्गत (FRA) प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

संदर्भ :- कार्यालय परियोजना प्रबंधक ए.डी.बी. प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि. बिलासपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक/442 तक/लोन-3/पी.24/ए.डी.बी./2020-21 बिलासपुर दिनांक 03.06.2020।

---00---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। कार्यालय ए.डी.बी. परियोजना छ.ग. सड़क विकास परियोजना लो.नि.वि. बिलासपुर (छ.ग.) को बाकारूमा-लैलूंगा 22.918 कि.मी. उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु जिला रायगढ़ में धरमजयगढ़ वनमण्डल अंतर्गत सलखिया कक्ष क्रमांक 187 रकबा 3.327 हे., हीरापुर कक्ष क्रमांक 193 रकबा 0.351 हे., चोरंगा 209 रकबा 0.165 हे. ग्राम के वनभूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 3.843 हे. गैर खाते की भूमि को वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैरवानिकीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिये वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित प्रारूप प्रदर्स 'स' एवं लिनियर प्रकरण हेतु फार्म-1 में जानकारी चाही गई है। उक्त संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धरमजयगढ़ से प्राप्त जानकारी के आधार पर कार्यालय ए.डी.बी. परियोजना छ.ग. सड़क विकास परियोजना लो.नि.वि. बिलासपुर (छ.ग.) के पुनर्निर्माण कार्य हेतु 3.843 हे. भूमि के लिये प्रदर्स 'स' तथा लिनियर प्रकरण हेतु फार्म-1 में जानकारी संलग्न कर सादर सप्रेषित है।

कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्रमांक /269/स.अ.भू.अ./2021 रायगढ़ दिनांक 26/2/2021

प्रतिलिपिः-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध-व.स.अ.) अरण्य भवन मेडिकल कालेज रोड रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ ।
2. कार्यालय परियोजना प्रबंधक ए.डी.बी. प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि. बिलासपुर छ.ग. को सूचनार्थ।

कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग.)

...य परियोजना प्रबंधक
...परियोजना, बिलासपुर (छ.ग.)
क्रमांक 660/3/P24
1/3/21

SA-Later

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ (छ.ग.)

प्रदर्श 'स'

प्रमाण पत्र

कार्यालय ए.डी.बी. परियोजना छ.ग. सड़क विकास परियोजना लो.नि.वि. बिलासपुर (छ.ग.) को बाकारूमा–लैलूंगा 22.918 कि.मी. उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु जिला रायगढ़ में धरमजयगढ़ वनमण्डल अंतर्गत सलखिया कक्ष कमांक 187 रकबा 3.327 हे., हीरापुर कक्ष कमांक 193 रकबा 0.351 हे., चोरंगा 209 रकबा 0.165 हे. ग्राम के वनभूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 3.843 हे. वनभूमि एवं 0.00 हे. राजस्व वनभूमि के अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लैलूंगा के प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि :–

1–प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया हैं, तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र बाकारूमा–लैलूंगा (22.918 कि.मी.) की वनभूमि (आरक्षित–0.00 हे. /संरक्षित–3.843 हे.) एवं राजस्व वनभूमि 0.00 हे. कुल रकबा 3.843 हे. है जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम सलखिया, हीरापुर एवं चोरंगा में स्थित है में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की ग्रामवार विवरण निम्नानुसार है

क.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता प्राप्त धारक का नाम	रकबा (हे. में)
1	सलखिया	निरंक	निरंक
2	हीरापुर	निरंक	निरंक
3	चोरंगा	निरंक	निरंक

2 लिनियर प्रकरण होने से ग्राम सभा की आवश्कता नहीं है।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वनभूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

4. सयुंक्त सत्यापन प्रतिवेदन के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित राजस्व वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर
एवं
अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

190

Annexure-1

FORM-1

(for linear project)

Government of Chhattisgarh

Office of the District Collector Raigarh

****

No ..268.......

Date 26-2-21

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.00 Hect.** of forest land 3.843 **Hect.** of Reserve forest land and .... hectares revenue forest land r.e. .... hectares to be diverted in favor or Project Manager, Chhattisgarh Road Development Corporation Ltd. ADB Bilaspur for Bakaruma-Lailunga Road widening/upgrading in Raigarh district falls within jurisdiction of Salakhiya, Hirapur, Choranga Village in Lailunga tehsil. It is further certified that.:-

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the total **3.843** hectares of forest area, proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights annexure 01........ to...... annexure

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas's has been exempted for linear project vide letter No. 11-9/98-FC (pt) of Government of India, Ministry of Environment and Forests (FC Division) Dated 5th February 2013.

(c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl:As above.

(Bhim Singh)
District Collector
Raigarh